

(भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना संख्या 13/2022-संघ राज्य कर (दर)

नई दिल्ली, दिनांक 30 दिसम्बर, 2022

सा.का.नि. (अ)- संघ राज्य माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 14) की धारा 8 की उप धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 2/2017-संघ राज्य कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017, जिसे सा.का.नि. 711(अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा:-

उक्त अधिसूचना में, अनुसूची में

(i) क्रमांक 102 के समक्ष, कॉलम (3) की प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा: -

"जलीय फीड समेत झींगा फीड और झींगा फीड, पोल्ट्री फीड और पशु फीड सहित घास, घास और पुआल, पूरक और योजक, गेहूं की भूसी और डीऑइल केक- [चावल की भूसी से भिन्न]";

(ii) क्रमांक 102ख और तत्संबंधी प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रमांक और प्रविष्टियों को अंतः स्थापित किया जाएगा, यथा :-

(1)	(2)	(3)
"102ग	2302,2309	चिल्का सहित दालों की भूसी, चुन्नी या चूरी, खंडा सहित सांद्र"

2. यह अधिसूचना 1 जनवरी, 2023 से लागू होगी ।

[फा सं सीबीआईसी - 190354/316/2022-टीआरयू सेक्शन - सी बी इ सी]

(विक्रम विजय वानेरे)

अवर सचिव

नोट : प्रधान अधिसूचना संख्या 2/2017-संघ राज्य कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017 को सा.का.नि. 711(अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 07/2022 - संघ राज्य कर (दर), दिनांक 13 जुलाई, 2022, जिसे सा.का.नि. 555(अ), दिनांक 13 जुलाई, 2022 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था के द्वारा संशोधन किया गया है ।